

14/5
995

पत्रावली पेश वकील प्रार्थी हाजिर।
वकील प्रार्थी को पूर्व में भी अन्तिम
सिद्धांत ही ठापी थी कि अगामी
पेशी पर तामिल की रसीदे पेश
करे अन्यथा आदेश ७ नियम ५
के तहत आदेश पारित किया
जायेगा। लेकिन भाग दिनांक तक
तामिल की रसीदे पेश नहीं।
अतः प्रार्थी का आर्जन 212
RITM आदेश ७ नियम ५ के
तहत खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर
नम्बर से कम होकर दाखिल
दफ्तर हो

Demands

सप्लायण्ड अधिकारी
दातारावगढ़ (सीकर)